□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
Andaman and Nicobar Administration
□□□□□□□□ **/Secretariat**
******

FORM-IV

NOTIFICATION OF MODIFICATION TO THE MASTER PLAN UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION- 9 OF THE REGULATION

No (e-75396)… F. No. TP-21(C)/CE/2023/Vol-111/- In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 9 of the Andaman and Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994 (No. 7 of 1994),the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands has contemplated certain modifications related to prescribing new land use zone for a parcel of landin compliance of the orders of the Hon’ble High Court in the Writ Petition No. 1100/2023 dated 09/01/2024,to the Master Plan for Sri Vijaya Puram (Port Blair) PlanningArea, which was approved and published vide No. 35 dated 01/03/2012in the Andaman and Nicobar Gazette.

WHEREAS, the Draft modification proposal on the Master Plan for Sri Vijaya Puram Planning Area was published in the two local dailies viz. The Daily Telegrams on 12/10/2024 and The Dweep Samachar on 15/10/2024 circulated in the Sri Vijaya Puram Planning Area in addition to publishing it in the website of the Administration as required under Sub-Section-(3) of Section 9 of Andaman and Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994 for inviting suggestions/objections from all stakeholders including general public within 45 days from the date of its publication.

WHEREAS, no suggestion/objection has been received in the matter till the stipulated date from any stakeholder.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Sub-Section-(4) of Section 9 of the Andaman and Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994 (No. 7 of 1994), the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is pleased to make the modification(s) listed hereunder to the Master Plan for Sri Vijaya Puram Planning Area/Development Area in the interest of the general public and the same shall come into operation from the date of publication of this notification.

MODIFICATION(S)

The proposed modifications in the Report (Vol-II) and the land use map of Master Plan for Sri Vijaya Puram (Port Blair) Planning Area-2030is published in Form-IV as per Rule-3 (5) of the Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Rules, 2005 :-

Sl. No	Page No.	Clause No.	Table No./Serial No./ Map	Description
1	2	3	4	5
1.	27	4.3.3	Table No.4.3.3 Sl. No.24, Prothrapur, Map No. PBPA/VILLAGE/ PROP/6	The proposed land use zoning of the plot under Survey No.259/31/A/26 of Prothrapur Village shall be read as **"Public & Semi-Public"** in place of Reserved Forests in Map No. PBPA/VILLAGE/PROP/6.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor, A&N Islands.

Joint Secretary (PWD)

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

फॉर्म- IV

विनियमन की धारा-9 की उपधारा (4) के अंतर्गत मास्टर प्लान में संशोधन की अधिसूचना

संख्या (ई-75396)... एफ. संख्या टीपी-21(सी)/सीई/2023/वॉल्यूम-111/ - अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियमन, 1994 (1994 की संख्या 7) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएउपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) योजना क्षेत्र के मास्टर प्लान में दिनांक 09/01/2024 की रिट याचिका संख्या 1100/2023 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भूमि के एक हिस्से के लिए नए भूमि के उपयोग क्षेत्र को निर्धारित करने से संबंधित कुछ संशोधनों पर विचार किया गया है और जिसे अनुमोदन दे दी गई है और इसे अंडमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 01/03/2012 को संख्या 35 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

जबकि, श्री विजयपुरम योजना क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान पर मसौदा संशोधन प्रस्ताव दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् दैनिक टेलीग्राम 12/10/2024 और द्वीप समाचार 15/10/2024 में प्रकाशित किया गया था, जो श्री विजयपुरम योजना क्षेत्र में प्रसारित किया गया था और इसके अलावा इसे अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियमन, 1994 की धारा 9 की उप-धारा-(3) के अंतर्गत प्रशासन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था ताकि इसके प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की जा सकें।

जबकि, निर्धारित तिथि तक इस मामले में किसी भी हितधारक से कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियमन, 1994(1994 की संख्या 7) की धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल (प्रशासक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आम जनता के हित में श्री विजयपुरम नियोजन क्षेत्र/विकास क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान में नीचे सूचीबद्ध संशोधन करते हैं और यह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

<u>संशोधन</u>

श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) योजना क्षेत्र-2030 के लिए मास्टर प्लान की रिपोर्ट (खंड-II) और भूमि उपयोग मानचित्र में प्रस्तावित संशोधनों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2005 के नियम-3(5) के अनुसार प्रपत्र-IV में प्रकाशित किया जाता है:-

क्रम. सं	**पृष्ठ सं**	**धारा सं**	**तालिका क्रमांक/क्रमांक सं/नक्शा**	**विवरण**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	27	4.3.3	तालिका सं.4.3.3 क्रम सं.24, प्रोथरापुर,नक्शासं. पीबीपीए/गांव/प्रोप/6	प्रोथरापुर गांव के सर्वेक्षण संख्या 259/31/ए/26 के अंतर्गत भूखंड के प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण को मानचित्र संख्या पीबीपीए/गांव/प्रोप/6 में आरक्षित वन के स्थान पर "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक" पढ़ा जाएगा।

एडमिरल डी.के. जोशी,

पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)

उप राज्यपाल

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

□□□□□□□□ □□□□(□□. □□. □□.)